भारतीय संविधान

पाठ का सारांश-हर व्यक्ति को कुछ नियमों का पालन करना होता है। परिवार में रहने के लिए भी कुछ नियम होते हैं। विद्यालय को चलाने के लिए भी कुछ नियम, कायदे-कानून में हैं। ट्रैफिक के भी कुछ नियम होते हैं जिससे सड़क पर चलना और गाड़ी चलाना सहज-सरल और सुरक्षित हो पाता है। ठीक वैसे ही, देश को चलाने के लिए भी कुछ मूलभूत नियमों आवश्यकता होती है, जिसका पालन उस देश में रह रहे नागरिकों और सरकार दोनों को कर पड़ता है। इन नियमों के समूह को ही हम संविधान कहते हैं।

संविधान की आवश्यकता,:- भारत का संविधान अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लंबे संघर्ष ए अन्य देशों के संविधान के अनुभवों का ही परिणाम है। यह भिन्न समूहों, जातियों ए अलग-अलग क्षेत्र के ज्ञानी एवं अनुभवी लोगों की सोच से ही हमारे सामने आ पाया है।
हमारा संविधान हमें यह बताता है कि देश की शासन-व्यवस्था कैसी होगी, हमारा समान किस प्रकार का होगा, किन आदर्शों और मूल्यों की रक्षा की जानी चाहिए, देशवासियों के अधिकार और कर्तव्य क्या होने चाहिए। यदि नागरिकों के किसी अधिकार का हनन हो, तो कैसी परिस्थिान में ऐसा करना चाहिए संविधान हमें यह भी बताता है।

जैसे, एक छोटे संस्थान को विकास एवं खुशहाली के मार्ग पर ले जाने के लिए कुछ नियम की आवश्यकता होती है, वैसे ही देश को संविधान के प्रदत्त नियमों के अनुसार चलाना जरूरी होता है। संविधान सरकार को जनहित में कार्य करने की दिशा व प्रेरणा भी देता है जिससे कि समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा संभव हो व उनका विकास हो पाए जैसे अनुसूचित जाति और जनजातियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना, वृद्धा पेंशन योजना आदि ।

भारतीय संविधान का ऐतिहासिक सन्दर्भ:- गुलाम भारत में सन् 1885 से ही अपने देश के लिए एक संविधान की माँग की छटपटाहट दिखने लगी थी। भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस और देश के अन्य संगठन अंग्रेजी हुकूमत के सामने माँग रख रहे थे कि देश के संविधान में सुधार किए जाएँ और कानून बनाने वाली संस्थाओं में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए। अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत के लिए बनायी गयी नीतियों की पुरजोर आलोचना शुरू हो गयी थी। हमारे देशवासी अब अपने नागरिकों के लिए भी वही अधिकार चाहते थे जो अंग्रेज सरकार ने अपने नागरिकों को दे रखा था। जैसे, मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, अपनी इच्छानुसार व्यवसाय करने का अधिकार आदि ।

1920 में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ने भारत के लोगों द्वारा अपना संविधान खुद बनाने की स्पष्ट मांग रखी। सन् 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के आठ अन्य नेताओं ने भारत के संविधान की एक नई रूपरेखा तैयार की। 1934 में एक स्वतंत्र संविधान सभा की मांग की गयी जो द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान और तेज हो गयी। अंतत: दिसम्बर, 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। इसके अन्तरिम अध्यक्ष डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा थे और उनकी अध्यक्षता में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद सभा के निर्वाचित अध्यक्ष बनाये गये। ये दोनों विभूतियाँ बिहार के रहने वाले थे। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे एवं प्रारूप समिति (ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष) डॉ. भीमराव अम्बेदकर थे। जहाँ 26 नवम्बर, 1949 को हमारे संविधान को लिखने का कार्य शुरू हुआ वहीं 26 जनवरी, 1950 को इसे लागू कर दिया गया।

https://www.evidyarthi.in/

संविधान के बुनियादी मूल्य–लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, न्याय व धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान के बुनियादी मूल्य हैं। इन मूल्यों का महत्व इस तथ्य से पता चलता है कि इन्हें सबसे पहले संविधान सभा द्वारा स्वीकार किये जाने वाले संविधान के उद्देश्यों में शामिल किया गया था एवं इन्हें संविधान की उद्देशिका में लिखा गया ।

लोकतंत्र:- हमारे संविधान निर्माताओं ने यह सुनिश्चित कर दिया था कि भारतीय शासन व्यवस्था ऐसे लोकतंत्र पर आधारित होगी जिसमें सभी नागरिकों की समान रूप से भागीदारी होगी।

स्वतंत्रता:-लोकतंत्र की सफलता का मूल आधार है—उस देश के निवासियों की स्वतंत्रता । इसी कारण हमारे संविधान में नागरिक स्वतंत्रता को प्रमुख व विशेष स्थान दिया गया है।

समानता की समझ:- हमारे समाज में जाति, लिंग, धन आदि असमानताएँ स्पष्ट रूप से दीख पड़ती हैं। इन असमानताओं को दूर करने के लिए हमारे संविधान में समानता के मूल्य को विशेष स्थान दिया गया है ताकि हमारा समाज समानता के आधार पर शीघ्र खड़ा हो पाए ।

सामाजिक न्याय:—हमारे समाज में कई वर्ग बेहद पिछड़े हुए हैं। उन्हें बाकी वर्गों के समकक्ष लाना ही सामाजिक न्याय है, जिसके लिए भारतीय संविधान ने विशेष व्यवस्था की है। ताकि हजारों साल से इनके साथ जो अन्याय हुआ है उसके प्रभाव को कुछ हद तक कम किया जा सके । संविधान के इस संदर्भ में विशेष प्रावधानों के तहत ही केन्द्रीय और राज्य सरकारें सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए कई प्रकार की योजनाएँ बनाकर उन्हें लागू कर रही हैं।
बिहार में भी इस दिशा में कई उल्लेखनीय कार्य हुए हैं और वर्तमान में तेज गति से जारी है।

https://www.evidyarthi.in/